

(c) if not granted, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) to (c) The staff posted at Irimbanam are not eligible for House Rent Allowance as this locality is neither situated within 8 Kms of Ernakulam nor does it depend on Ernakulam for essential supplies.

RE: A POINT OF ORDER

श्री राजनारायण : (उत्तर प्रदेश) : श्रीमान् हमारा एक पाइन्ट आफ आर्डर है ।

श्री सभापति : किस बारे में ?

श्री राजनारायण : प्रश्नों के सम्बन्ध में हमारा पाइन्ट आफ आर्डर है ।

MR. CHAIRMAN: Now Papers to be laid on the Table.

श्री राजनारायण : श्रीमान्, मैं एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाता हूँ। अगर मैं पाइन्ट आफ आर्डर नहीं कह पाऊंगा ।

श्री सभापति : हर चीज कहने का एक मौका होता है ।

श्री राजनारायण: हम ने जो पार्लियामेंटरी तरीका सीखा है ।

श्री सभापति : मुझे मालूम है ।

श्री राजनारायण : इसलिए मैं जानता हूँ कि यही एप्रोप्रिएट टाइम है । सवाल तभी पूछा जाय जब सवाल खत्म हो रहा हो । अभी सवाल खत्म नहीं हुआ ।

श्री सभापति : क्वेश्चन अवर खत्म होने के बाद ।

श्री राजनारायण: यह एप्रोप्रिएट टाइम है । आप देखेंगे . . .

SHRI BABUBHAI M. CHINAI (Maharashtra): How can there be a point of order at a time when there is no business before the House? After the Question Hour is over nothing has yet come before the House. Where is the point of order then?

SHRI RAJNARAIN: A point of order can be raised at any time.

श्री गोडे मुराहरि (उत्तर प्रदेश) : सदन की कार्यवाही के बारे में पाइन्ट आफ आर्डर सदन में कभी उठाया जा सकता है ।

श्री सभापति : देखिए, रोज क्वेश्चन अवर होता है । क्वेश्चन अवर होने के बाद . . .

श्री राजनारायण : यह क्वेश्चन से ताल्लुक रखता है ।

श्री सभापति : फरमाइये ।

श्री राजनारायण : देखिए आप के कार्यालय से आज मुझे एक पत्र मिला है श्री महेन्द्र कुमार जैन, अवर सचिव, का -

सेवा में,

श्री राजनारायण, संसद् सदस्य

विषय :- विदेशों से प्रधान मंत्री द्वारा प्राप्त किए गए उग्रहारों के सम्बन्ध में अल्प सूचना प्रश्न स9-3

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अल्प सूचना प्रश्न, जिस की सूचना आप ने २३-३-६७ को दी थी, के संदर्भ में मुझे आप को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रधान मंत्री अल्प सूचना पर इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हैं । नियम ५८ को पढ़ा जाय । हमारे रूल्स आफ

[श्री राजनारायण]

प्रासीजर के 58 में अल्प सूचना प्रश्न के बारे में क्या तरीका अख्तियार किया जाता है वह लिखा हुआ—'लोक महत्व के विषय के सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूरे 10 दिन से कम समय की सूचना पर पूछा जा सकेगा। अगर, श्रीमान्, आप को हिन्दी समझने में दिक्कत हो तो मैं अंग्रेजी में पढ़ दूँ।

श्री सभापति : ठीक है। मैं दोनों थोड़ी-थोड़ी समझता हूँ।

श्री राजनारायण : ठीक है, तो मैं हिन्दी में पढ़ता हूँ :—

“अगर सभापति की यह राय हो कि प्रश्न अविलम्बनीय प्रकार का है तो वह निर्देश दे सकेंगा कि सम्बन्धित मंत्री से पूछ ताछ की जाय कि वह उत्तर देने की स्थिति में हैं या नहीं; और यदि है तो किस तिथि को।”

हमने लिखित प्रश्न 23 को दिया कि प्रधान मंत्री जी को विदेशों से क्या क्या गिफ्ट मिली है और रूस की सरकार ने क्या उनको कोई सैबिल कोट दिया है। अगर दिया है तो उन्होंने ने नियमों के अन्तर्गत जमा किया है या नहीं किया है? अगर नहीं तो क्यों? जो रूस बताए गए हैं उन में लिखा है कि दो सौ रुपए से ज्यादा की कीमत का कोई उपहार हो तो उस को कोई अपने पास नहीं रख सकता, उस को जमा करना पड़ेगा; और यदि वह रखता है . . .

SHRI B. K. P. SINHA (Bihar): Sir, I have a point of order to raise on his point of order.

SHRI RAJNARAIN: Before I have done with my point of order? Let me first complete my point of order.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): He cannot raise a point of order to a point of order he can contest the point of order.

MR. CHAIRMAN: Perhaps his point of order is that the other point of order cannot be raised. What is it, Mr. Sinha?

श्री राजनारायण : श्रीमान्, अभी तो हमारा प्रश्न सुना नहीं।

SHRI B. K. P. SINHA: Mr. Chairman, it is rather distressing that under the garb of points of order, supplementaries, and various other procedures . . .

श्री राजनारायण : श्रीमान्, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। क्या माननीय सदस्य हाथ बांध कर खड़े हो सकते हैं आप के सामने?

श्री सभापति : हाँ, हो सकते हैं।

श्री राजनारायण : आप एलाउ करें तो वह टेबिल पर खड़े हो कर बोल सकते हैं।

श्री सभापति : जिस तरह खड़े थे वैसे खड़े हो सकते हैं। आप सीना तान कर खड़े होते हैं तो वे भी ऐसे खड़े हो सकते हैं।

SHRI B. K. P. SINHA: Sir, under the garb of points of order, supplementaries and various other procedures attempts are being constantly made to malign and tarnish people in high authority who, because of the responsibilities of high office, cannot come out every day with contradictions about all sorts of wild allegations that are made against them. It offends their personal dignity; it offends the dignity of the high office that they hold. I would therefore request you, Mr. Chairman, not to allow this vilification to go on under this garb.

MR. CHAIRMAN: The hon. Member had tabled a short notice question. The Prime Minister said that the matter was not one of urgency to be answered at short notice and that it could come up in due course. I think she is right and therefore there is no point of order.

श्री राजनारायण : श्रीमान्, मैं यही आप से अर्ज कर रहा हूँ। मुझे परेशानी हो जाती है।

SHRI M. M. DHARIA (Maharashtra): How can Mr. Rajnarain still go on with the point after you have given the ruling and after the position has been clarified? He should not take undue advantage of your generosity. He should not be allowed to take undue advantage any more, Sir.

(Interruptions).

श्री गोडे मुराहिर : मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये सदस्य कैसे बोलने लग गए। जब एक पाइन्ट आफ आर्डर रोज किया गया है।

MR. CHAIRMAN: I beg of you to be patient. Let me deal with him. I know it causes irritation to people, but it causes more irritation when you also get irritated.

श्री राजनारायण : श्रीमान्, मैं यही अर्ज कर रहा था कि क्या मैं अब किबताब को भी कोट नहीं कर पाऊंगा। जो लोग . . .

श्री सभापति : आप कोट कर चुके।

SHRI RAJNARAIN: Do to others as you wish to be done by. यही आप ने सिखाया था जब आप वाइस चांसलर थे कि दूसरो के साथ वही व्यवहार करो जो अपने साथ चाहते हो। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, कोई अनाप शनाप बात नहीं कर रहा हूँ।

श्री सभापति : वही बाने आप फिर कह रहे हैं जो कह चुके हैं।

DIWAN CHAMAN LALL (Punjab): On a point of order, Sir. The hon. Member is not reading only the rules; he is making insinuations.

श्री राजनारायण : दीवानजी ज्यादा हस्ता मत करिये, शान्ति से बैठ जाइये।

DIWAN CHAMAN LALL: It is not a question of . . .

श्री राजनारायण : आप क्यों खड़े हो गए।

MR. CHAIRMAN: Will you sit down? Will the hon. Member sit down?

SHRI G. MURAHARI: But why does not that hon. Member sit down, Sir?

(Interruptions).

MR. CHAIRMAN: Order, order.

श्री गोडे मुराहिर : ये कैसे खड़े हो गए ?

DIWAN CHAMAN LALL: Sir, may I draw your attention to the fact . . .

श्री गोडे मुराहिर : इन को बिठाइये।

DIWAN CHAMAN LALL: You sit down.

MR. CHAIRMAN: You please sit down. (Addressing Shri Murahari).

SHRI G. MURAHARI: You are not the Chairman of the Rajya Sabha.

SHRI RAJNARAIN: You cannot ask him to sit down. You sit down.

MR. CHAIRMAN: Mr. Rajnarain, you are behaving in a manner absolutely undignified.

SHRI RAJNARAIN: Is his manner quite dignified, Sir?

MR. CHAIRMAN: You are also behaving in that manner. I hope you will now control yourself and sit down. Please sit down.

SHRI RAJNARAIN: You should order me, not he. I respect your order, not his order.

SHRI G. MURAHARI: He cannot stand also. As long as he stands up I have also to stand, Sir.

SHRI BHUPESH GUPTA: All three of you sit down.

DIWAN CHAMAN LALL: Mr. Chairman, may I draw your attention to the fact that . . .

MR. CHAIRMAN: Mr. Murahari, will you please sit down?

SHRI G. MURAHARI: I shall sit down and obey your order, Sir. But I request you to ask him also to . . .

MR. CHAIRMAN: Will you please sit down? He was making some observations about your remarks . . .

SHRI G. MURAHARI: Then I should not make any remarks?

MR. CHAIRMAN: . . . and saying that Shri Rajnarain was not only referring to the rules . . .

DIWAN CHAMAN LALL: May I draw your attention to the fact that Shri Rajnarain instead of reading only the rules which he is entitled to read before you and before this House, has made certain insinuations . . .

SHRI G. MURAHARI: No.

DIWAN CHAMAN LALL: . . . which are contrary to the Rules of Procedure of this House, that is to say, that no defamatory statement can ever be made by any Member against another Member.

SHRI RAJNARAIN: No.

DIWAN CHAMAN LALL: The hon. Member says 'No.' Shall I draw your attention to the rules?

MR. CHAIRMAN: I know the rules.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, I am not in this controversy. But if Diwan Chaman Lal wants to show his learning of the rules then we should also

be given a chance to explain how we understand these rules.

MR. CHAIRMAN: Nobody should be defamed, Shri Rajnarainji. You can read the rules and make a reference to the rules and write to me and I will look into the matter again.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता। मैं आप के जरिये भाई दिवान चमनलाल जी से बहुत नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जरा मुझे गरीब को भी सुनने की कृपा करें।

मैंने जो क्वेश्चन दिया था उस को आप ने एप्रू किया था। जरा सुन लीजिए श्रीमन्।

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): The Chairman has given his decision and after that decision you cannot say anything.

श्री राजनारायण : चेयरमैन को जो राइट है आप जान लीजिये, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ।

श्री अकबर अली खान : चेयरमैन ने खुद फरमाया है . . .

श्री राजनारायण : ऐसे बोलेंगे तो मण्डिकल हो जायेंगी। आप अपने को क्या समझ बैठे हैं।

श्री सभापति श्री राज नारायण जी।

श्री राजनारायण : मैं रूल पढ़ रहा हूँ, और कुछ नहीं पढ़ूँगा। आप मेरा पूरा सुन लीजिए। आप कृपा करके मुझे रूल पढ़लेने दीजिए कि क्या राइट है और क्या राइट नहीं है।

श्री सभापति : मैं पढ़ सकता हूँ, आप सिर्फ इम का हवाला दे सकते हैं।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, जरा सुन लीजिए।

श्री सभापति : आप प्वाइंट ऑफ आर्डर आधा घंटा तक नहीं उठा सकते ।

श्री राजनरायण : मैं कोई आधा घंटा तक नहीं उठा रहा हूँ, यह दिवान चमन लाल उठा रहे हैं ।

श्रीमन्, आप को हक है । मैं उस का हवाला दे रहा हूँ । जो हमारा अल्प सूचना का प्रश्न है उस के लिये प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम सहमत नहीं है जवाब देने के लिये और आप के दफ्तर से मुझ को यह सूचना मिली । उस में क्या लिखा जाना चाहिए दफ्तर की ओर से वह मैं आप के सामने अर्ज कर रहा हूँ । नियम 58 का क्लॉज 2 यह है :—

“यदि सम्बन्धित मंत्री उत्तर देने की स्थिति में हो तो ऐसे प्रश्न का उत्तर उस के द्वारा बताये गये दिन तथा ऐसे समय दिया जायेगा जिसे सभापति निश्चित करे ।”

सम्बन्धित मंत्री ने कह दिया कि हम उस स्थिति में, उस हैसियत में नहीं हैं । ठीक है । अब देखा जाय, नियम 58 का सबक्लॉज 3 यह है :—

“यदि मंत्री अल्पसूचना पर प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में न हो और सभापति की यह राय हो कि प्रश्न इतने पर्याप्त लोक महत्व का है कि राज्य सभा में उस का मौखिक उत्तर दिया जाना चाहिये तो वह निर्देश दे सकेगा (मंत्री को) कि प्रश्न उस दिन की प्रश्न सूची में प्रथम प्रश्न के रूप में रखा जाय, जिस दिन कि नियम 39 के अधीन उस का उत्तर दिया जा सकता हो :”

अब रूल 39 देखा जाय । रूल 39 यह है :—

“जब तक सभापति अन्यथा निर्देश न दे, प्रश्न के लिये कम से कम पूरे दस दिन की सूचना दी जायेगी ।”

अब मैं आप से यही जानना चाहूंगा कि नियम के मुताबिक हम ने 23 तारीख को सवाल दिया, आज 30 तारीख है, 8 दिन आलरेडी बीत गए, 30 तारीख को सूचना दे रहे हैं कि प्रधान मंत्री इस हैसियत में नहीं हैं कि वह आप के सवाल का अल्प सूचना, शार्ट नोटिस, के रूप में जवाब दें, तो मैं जानना चाहता हूँ कि श्रीमन् वह मौका कब मिलेगा कि मैं चेयरमैन को यह समझाऊँ कि चेयरमैन साहब यह प्रश्न इतने लोक महत्व का है कि इस का उत्तर देने के लिये आप प्रधान मंत्री को मजबूर करें, क्योंकि आज 30 तारीख है और 7 तारीख तक का प्रोग्राम है । 10 दिन का समय साधारण प्रश्न के लिये ले सकते हैं तो यह 10 दिन का समय कब से माना जायगा, जिस 23 तारीख को हम ने सवाल दिया उस 23 तारीख से 10 दिन का माना जायगा या आज प्रधान मंत्री का जो जवाब मिल गया तब से, यानी आज से 10 दिन का माना जायगा, यदि आज से 10 दिन का माना जायगा तो 7 तारीख को सदन उठ जायगा और उस का उत्तर अगर आप चाहें भी, यदि आप के दिमाग में इस की अहमियत को बिठा भी दें कि यह पब्लिक इम्पार्टेन्स का, इमीडिएट इम्पार्टेन्स का है और इस का जवाब आप दिलाना भी चाहें तो आप नहीं दिला पायेंगे । तो मैं आप से अर्ज कर रहा हूँ, आप के शैल्टर में आ रहा हूँ, कि आप हमारे हक की हिफाजत कैसे करेंगे । मैं जानता था कि यह नियम होना चाहिये, ऐसा मंत्री की स्वीटविल पर नहीं है, मंत्री को चेयर जब चाहे तब बाध्य कर सकता है, चेयर मंत्री को मजबूर कर सकता है कि इस का उत्तर दो ।

श्री अकबर अली खान: लेकिन चेयर ने ऐसा नहीं किया।

श्री राजनारायण: लेकिन चेयर ने क्या हमें बताया कि चेयर ने इस पर क्या रुख लिया, यह चेयर ने हम को कुछ नहीं बताया, केवल प्रधान मंत्री की असहमति की, प्रधान मंत्री उत्तर देने में असहमत हैं, यही सूचना हम को मिली है। अब इस का प्रासेस क्या है, कसे इस का हल निकलेगा। आज हम को सूचना मिली है और आजही वह मौका है कि मैं आप से अर्ज करूँ। जो पार्लियामेंटरी पद्धति है, जो सभ्य पार्लियामेंटरी तरीका है वह मैं अर्ज कर रहा हूँ। आज ही वह दिन है, आज ही वह घड़ी है कि हमें खड़ा होना चाहिए जब कि हम को सूचना मिल गई कि फलां मंत्री, फलां विभाग के मंत्री फलां सवाल का उत्तर नहीं दे रहे हैं।

तो मैं आप से अर्ज करूंगा, श्रीमन्, कि यह बहुत ही लोक महत्व का है। आप इस का उत्तर देने के लिये एक दिन निश्चित करें और मंत्री को मजबूर करें। अगर आप चाहेंगे तो आप प्राइम मिनिस्टर से भी पूछ सकते हैं कि क्या राजनारायण का कहना सही है, तुम उत्तर दो। यह अधिकार आप को है, यह एक अक्षुण्ण अधिकार है, एक्सोल्यूट अथॉरिटी आप की है, उस एक्सोल्यूट अथॉरिटी का कि प्राइम मिनिस्टर जरूर जवाब दें आप इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि आप हमारे प्रश्न की अहमियत को देखें, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय ने, डा० राधाकृष्णन् ने 26 जनवरी को कहा था, उन का भाषण हमारे पास मौजूद है।

"Charges of corruption are frequently made against people at all levels of Government, Central and State. Immediate disposal of these charges is essential. If these charges are false, their falsehood should be exposed. If there is any basis for them, this should be admitted

and rectified. Such admission enhances the prestige of the Government."

आज हमारे जो रिवियर्ड रेस्पेक्टेड, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय हैं उन्होंने ने 26 जनवरी के दिन ऐसा भाषण दिया था, ऐसा रेडियो ब्राडकास्ट किया था, इसके तहत मैं अगर मैं श्रीमन् यह अर्ज करूँ कि प्रधान मंत्री के ऊपर जब चारों तरफ चर्चा चल रही हो तो उन से एक जवाब दिलवा दीजिये, उन से कहलवा दीजिये, यह उन के लिये ओम्भा की बात है। उन के ऊपर जो विलिफिकेशन हुआ है उस के लिये जो कांग्रेस बैचेज के लोग हैं चाहते हैं कि स्थिति की सफाई न हो, वे आदमी जो प्राइम मिनिस्टर से अल्पसूचना के रूप में इस का उत्तर दिलवाना नहीं चाहते उन के ऊपर मैं मोटिव करता हूँ कि उन की दिली खाहिश है कि इस चीज के बारे में सफाई न हो, यह गन्दगी अपनी जगह कीचड़ में पड़ी रहे और तमाम लोग— प्रधान मंत्री के जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के जो हैं जो उन का क्लिक है चाहते हैं कि इस तरह लोग उनकी बदनामी करते रहें। मैं प्रधानमंत्री का वैलविशर हूँ, इसलिए शार्ट नोटिस के रूप में इसे रख कर आया कि वह सदन में आ कर जो आरोप पब्लिकली लगाये जा रहे हैं उस के बारे में बतायें कि उन्होंने ने रूस से सेविल कोट लिया या नहीं, उन्होंने ने जमा किया या नहीं, क्या किया, क्या नहीं।

तो मैं आप से अर्ज कर रहा हूँ कि इसकी अहमियत को देखते हुये आपको नियम के मुताबिक जो हक हासिल है उस का इस्तेमाल करे, जनहित में समाजहित में, आवश्यक, अविलम्बनीय, लोक महत्व का इसे मानते हुये आप हमारे पक्ष में फैसला दे और एक दिन प्रथम प्रश्न के रूप में इसके लिये रखें।

SHRI M. N. KAUL (Nominated): May I say something, Sir?

MR. CHAIRMAN: Now papers to be laid on the Table.